अपने अधिकार जानें

एक सूचना पुस्तिका जो अमेरिका में काम कर रहे लोगों के अधिकारों का वर्णन करती है।

राष्ट्रीय मानव तस्करी हॉटलाइन
1-888-373-7888 (अमेरिका के भीतर)

अपने अधिकार जानें

हमें विश्वास है कि अमेरिका में आप का प्रवास लाभप्रद होगा। फिर भी, यदि खराब परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो आपके अधिकार हैं और आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं!

आप के अधिकार हैं:

- आपको उचित वेतन मिले
- भेदभाव से मुक्त हों
- यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से मुक्त हों
- एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्यस्थल हो
- यूनियन, आप्रवासी, और श्रम अधिकार समूहों से सहायता का अनुरोध कर सकें
- किसी दुर्व्यवहारपूर्ण रोजगार की स्थिति को छोड़ सकें

यदि आप से दुर्व्यवहार हो रहा है, तो राष्ट्रीय मानव तस्करी हॉटलाइन 1-888-373-7888 (अमेरिका के भीतर) से संपर्क करें, 233733 पर (अमेरिका के भीतर) 'मदद' टेक्स्ट करें या NHTRC@POLARISPROJECT.ORG पर ईमेल से संपर्क करें।

200 से अधिक भाषाओं में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की मदद हमेशा उपलब्ध है। आपको अपना नाम या अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। और अधिक जानकारी WWW.TRAFFICKINGRESOURCECENTER.ORG पर प्राप्त की जा सकती है।

सलाह: भविष्य में संदर्भ के लिए यह पुस्तिका अपने साथ अमेरिका ले आएं।

यदि आप तत्काल खतरे में हैं, तो 911 पर पुलिस को कॉल करें (अमेरिका के भीतर)। उन्हें अपनी आपात-स्थिति, अपना स्थान (लोकेशन) और जिस फोन नंबर से आप फ़ोन कर रहे हैं वह बताइये। अगर आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते तो एक दुभाषिये का अनुरोध कीजिये। जब पुलिस पहुंचें, तो आप उन्हें यह पुस्तिका दिखा सकते हैं और आपको जो दुर्व्यवहार भुगतना पड़ा उसके बारे में उन्हें बताइये।

अगर आपको A-3, G-5, H, J, NATO-7, या B-1 घरेलू कामगार गैर-आप्रवासी वीज़ा मिलता है, तो आपको अपने वीज़ा साक्षात्कार के दौरान यह पुस्तिका मिलनी चाहिए। एक कॉन्सुलर अधिकारी को सत्यापित करना होगा कि वीज़ा मिलने से पहले यह पुस्तिका आपको प्राप्त हुई है, आपने इसे पढ़ा है, और इस पुस्तिका की सामग्री आपने समझ ली है। यदि यह पुस्तिका नहीं मिली है तो कॉन्सुलर अधिकारी को यह पुस्तिका आपको देनी चाहिये और इसके बारे में आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा, कॉन्सुलर अधिकारी को इस पुस्तिका में दी गई जानकारी के बारे में आपके किसी भी सवाल का जवाब देना चाहिए।

आपके अधिकार, चाहे आपके वीज़ा की स्थिति कुछ भी हो

अगर आप मानते हैं कि आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो सरकारी एजेंसी, यूनियन, गैर-सरकारी संगठन, या अन्य संगठन, जो आपकी सहायता कर सकते हैं उनको रिपोर्ट करें। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो एक दुभाषिया मांगिये।

1. उचित वेतन पाने का आपका अधिकार

आपका अधिकार है कि आप जितना काम करते हैं उस सब के पैसे आपको मिलें।

अधिकांश नौकरियों के लिए आपको संघीय कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। मौजूदा संघीय न्यूनतम वेतन के लिए *www.dol.gov/whd/minimumwage.htm* देखें।

सलाह: जब आप अमेरिका में हों, तो आपके प्रवास की अवधि की लम्बाई के हिसाब से, आपके लिए स्वास्थ्य बीमा कराना ज़रूरी हो सकता है। आप स्वास्थ्य बीमे की लागत को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भी सुयोग्य हो सकते हैं।

आप संघीय न्यूनतम वेतन से अधिक कमाने के हकदार हो सकते हैं अगर:

- आप ऐसे राज्य, शहर, या काउंटी में काम करते हैं जहाँ न्यूनतम वेतन की दर अधिक ऊंची है।
- आपके रोजगार अनुबंध/वीज़ा कार्यक्रम के अनुसार अधिक ऊंची रकम की आवश्यकता है।

यदि आपने प्रति सप्ताह 40 से अधिक घंटे काम किया तो आप उन अतिरिक्त घंटों के लिए डेढ़ गुना प्रति घंटा रोज़गारी के हकदार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सामान्य मजदूरी दर $10 प्रति घंटा है, और आप एक सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम करते हैं तो आपके नौकरीदाता के लिए उन अतिरिक्त घंटों के लिए आपको $15 प्रति घंटा की दर से भुगतान करना आवश्यक हो सकता है।

अगर आपका नौकरीदाता आपके पे-चैक से पैसे लेता है, तो इसे कटौती कहा जाता है। आपके पे-चैक से ली गई प्रत्येक कटौती के बारे में आपके नौकरीदाता को आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिये।

कटौती गैर-कानूनी हो सकती है, अगर कटौती के बाद आप को कानूनी रूप से आवश्यक रोज़गारी से कम मिले। एक नौकरीदाता आम तौर पर वर्दी, सुरक्षा उपकरण, आवश्यक औज़ारों, आपूर्ति, उपकरण या भर्ती फीस की लागत की कटौती नहीं कर सकता है। कुछ वीज़ा श्रेणियों के लिए, मुफ़्त आवास का प्रबंध होना ज़रूरी है।

सलाह: अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले, प्रवासी मजदूर संगठनों या पूर्व प्रवासी कामगारों से सलाह लें। वे आपको ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के नाम और नंबर दे सकते हैं जिनसे आप, अपने अमेरिका प्रवास के दौरान कोई समस्या या प्रश्न सामने आने पर, संपर्क कर सकते हैं।

वैध कटौती में वे चीज़ें शामिल हैं जो आप स्वयं चुनते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, यूनियन फीस, या वेतन एडवांस, और साथ ही वे कटौतियां जो आपके नौकरीदाता को अदालत के आदेश को मान कर करनी पड़ती हैं, जैसे कि संतान-सहायता या गुज़ारा भत्ता, या दिवालिया कार्यवाही सम्बन्धी कटौती। कुछ अपवादों को छोड़, अमेरिका में काम कर रहे गैर-आप्रवासी वीज़ा धारकों पर संघीय और राज्य आय और रोज़गार कर लागू होते हैं। आप और आपके नौकरीदाता पे-चैक से सीधे आयकर कटाने के लिए सहमत हो सकते हैं। आपका नौकरीदाता आम तौर पर पे-चैक से सीधे, सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा करों सहित, रोज़गार कर काटेगा।

2. भेदभाव से मुक्त रहने का आपका अधिकार

आप के नौकरीदाता के लिए, उम्र (यदि आप 40 साल या इससे बड़े हैं), लिंग, जाति, राष्ट्रीय मूल और जातीयता, रंग, धर्म, आनुवंशिक जानकारी (पारिवारिक चिकित्सीय इतिहास सहित), या विकलांगता की वजह से काम पर आपसे अलग ढंग से या बुरी तरह से बर्ताव करना गैर कानूनी है।

आपका नौकरीदाता इस कारण आपसे अलग ढंग से बर्ताव नहीं कर सकता कि आप एक औरत हैं या आप गर्भवती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, या गर्भवती होने की संभावना है।

3. यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से मुक्त रहने के आपके अधिकार

आप के नौकरीदाता के लिए आपको यौनिक रूप से परेशान करना गैर कानूनी है। आपके नौकरीदाता को किसी भी प्रकार की यौन या लिंग आधारित आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिएं।

आप के नौकरीदाता के लिए आपका यौन शोषण करना ग़ैर-कानूनी है, जिसमें ये भी शामिल हैं:

आप से शारीरिक संबंध बनाने की मांग करना;

कामुक तरीके से आपको छूना;

शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती, चालाकी से, या दबाव डाल कर आपको मजबूर करना।

4. आपका एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार

अमेरिका में एक कार्यकर्ता के रूप में, आपको काम करने की सुरक्षित, स्वस्थ परिस्थितियां प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें ये शामिल हैं:

चिकित्सा उपचार: आपको काम-संबंधित चोटों और बीमारियों की अपने नौकरीदाता को रिपोर्ट करने का अधिकार है। अगर आप काम पर घायल या बीमार हो गये, तो आप चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में, काम-संबंधित चोट या बीमारियों के लिए, आपके नौकरीदाता को नि:शुल्क चिकित्सा उपचार और घायल होने के दौरान हुए वेतन के नुकसान का अंश प्रदान करना चाहिए। श्रमिक मुआवज़े के लिए आपको उस राज्य में आवेदन करना पड़ सकता है जिस राज्य में आप काम करते हैं।

सुरक्षात्मक उपकरण: यदि आप कीटनाशकों या खतरनाक रसायनों के साथ या उनके आसपास काम करते हैं, तो आपके नौकरीदाता को उस काम के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण (जैसे श्वासयंत्र या दस्ताने) अपने ख़र्चे पर उपलब्ध कराने चाहिए।

सलाह: आपके नौकरीदाता, अनुबंध-कर्ता, या भर्ती करने वाले की कानूनी सलाह पक्षपातपूर्ण हो सकती है। आप एक स्वतंत्र वकील से सलाह लें।

प्रशिक्षण: आपको अपने कार्यस्थल पर लागू होने वाले जोखिमों, नुकसान को रोकने के तरीकों, और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मानकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। प्रशिक्षण ऐसी भाषा और शब्दों में होना चाहिए जो आप समझ सकते हैं।

आवास: यदि आपका नौकरीदाता आवास प्रदान करता है, तो वह साफ और सुरक्षित होना चाहिए। काम नहीं करने के घंटों के दौरान आपको अपना आवास छोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बाथरूम: बाथरूम साफ और सुलभ होना चाहिए। आपके नौकरीदाता को आपकी जरूरत के अनुसार बाथरूम की सुविधा के लिए पहुँच प्रदान करनी चाहिए।

पीने योग्य पानी: आपको साफ पीने का पानी प्राप्त करने का अधिकार है।

साबुन और साफ पानी: आपको आवश्यकतानुसार साबुन और पानी से अपने हाथ धोने का अधिकार है, विशेष रूप से कीटनाशकों/रसायनों से उपचारित फल या सब्ज़ियों सहित कीटनाशकों/रसायनों के संपर्क में आने के बाद।

आपातिक चिकित्सा: आपके ख़र्च का भुगतान किया जा सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी चोट या बीमारी के बारे में अपने नौकरीदाता को बताना चाहिये, ताकि नौकरीदाता आवश्यक कागज़-पत्र फाइल कर सके। जब आप डॉक्टर, क्लिनिक, या अस्पताल में हों तो अपनी बीमारी या चोट के बारे में कागज़ी कार्रवाई की प्रतियां मांगें।

यदि आप कीटनाशकों या खतरनाक रसायनों के साथ या आसपास काम कर रहे हैं:

जिन रसायनों के साथ आप काम कर रहे हैं उनको जानने और समझने का आपको अधिकार है, और आपके नौकरीदाता को कार्यस्थल रसायनों के बारे में सवेतन प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

आपके नौकरीदाता को आपको बताना चाहिए कि कहां और कब कीटनाशकों का छिड़काव किया गया और उपचारित जगह पर वापस लौटना कब सुरक्षित है, ताकि आकस्मिक संपर्क के जोखिम से बचा जा सके। जहां कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है वहां मत रहिये।

5. यूनियन, आप्रवासी, और श्रम अधिकार ग्रुपों से मदद का अनुरोध करने का आपका अधिकार

कुछ अपवादों को छोड़, आपको अपने वेतन या काम की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अपने सहकर्मियों के साथ शामिल होकर अपने नौकरीदाता से पूछने का अधिकार है। अधिकांश श्रमिकों को अपने कार्यस्थल में एक यूनियन बनाने, उसमें शामिल होने, और समर्थन करने का अधिकार है।

जब आप काम नहीं कर रहे हैं, तब आप अधिक वेतन या काम की बेहतर परिस्थितियों के समर्थन में अपने कार्यस्थल पर सार्वजनिक भाषणों, रैलियों और प्रदर्शनों में भाग ले सकते हैं।

यह आपका अधिकार है, चाहे आपकी आप्रवासी स्थिति कुछ भी हो। अपने अधिकारों पर हक जताने के लिए आपका नौकरीदाता आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता।

6. दुर्व्यवहारपूर्ण रोज़गार की स्थिति को छोड़ने का आपका अधिकार

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आप सुरक्षा की तलाश करें। अगर आपका नौकरीदाता आप से बुरा बर्ताव कर रहा है तो आपको उस नौकरी में रहने की ज़रूरत नहीं है।

यदि आप अपने नौकरीदाता को छोड़ दें तो आपके वीज़ा की स्थिति हालांकि अब वैध नहीं रहेगी, लेकिन हो सकता है कि आप अपने वीज़ा की स्थिति या अपने नौकरीदाता को बदल सकें। ऐसा करने के लिए आपको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। भले ही आपके वीज़ा की स्थिति मान्य नहीं हो, लेकिन जब आप दुर्व्यवहार करने वाले नौकरीदाता को छोड़ देते हैं तो आपको सहायता मिल सकती है।

जब आप काम कर रहे हैं या अपने नौकरीदाता को छोड़ने के बाद, आप औपचारिक शिकायत कर सकते हैं या अपने नौकरीदाता के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। ऐसा करने पर अगर आपका नौकरीदाता आपके खिलाफ कार्रवाई करता है (या प्रतिकार करे), तो वह कानून का उल्लंघन कर रहा है।

सलाह: आपके नौकरीदाता को समय पर आपको वेतन देना होगा। अमेरिका में सामान्य चलन यह है कि कर्मचारियों को हर दो सप्ताह में एक बार वेतन दिया जाता है।

आपकी गैर-आप्रवासी स्थिति पर आधारित अतिरिक्त अधिकार

A-3, G-5, NATO-7, और B-1 घरेलू कामगार

आपके नौकरीदाता को आपको रोजगार अनुबंध देना चाहिये जो अमेरिकी कानून का पालन करता हो।

अनुबंध में कहा होना चाहिये कि घरेलू कामगार को प्रति घंटा कितनी मज़दूरी दी जायेगी। प्रति घंटा न्यूनतम वेतन अमरीकी संघीय, राज्य, या स्थानीय कानून के तहत जो सबसे ज़्यादा है वह मिलना चाहिए।

आप जो भाषा समझ सकें उस भाषा में आपके नौकरीदाता को अनुबंध देना चाहिये। सुनिश्चित करें कि आप अनुबंध की शर्तें जानते हैं और अगर आप नहीं जानते कि उसमें क्या कहा गया है तो ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें।

A-3, G-5, और NATO-7 घरेलू कामगारों के लिए अतिरिक्त जरूरतें

अनुबंध में कम से कम निम्नलिखित प्रावधान शामिल होने चाहियें:

आपके नौकरीदाता का यह करार कि वह अमेरिका में सभी कानूनों का पालन करेगा;

भुगतान के तरीके और नियमितता, काम के कर्तव्य, साप्ताहिक काम के घंटे, छुट्टियां, बीमारी के दिन, और वेकेशन के दिन, इन सब के बारे में जानकारी; तथा

आपके नौकरीदाता द्वारा यह करार कि वह आपका पासपोर्ट, रोजगार अनुबंध, या अन्य निजी संपत्ति अपने पास नहीं रखेगा।

H-2A अस्थाई कृषि श्रमिक वीज़ा

आपको कभी भी श्रम भर्ती-कर्ता को फीस देने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए।

आप समझ सकें ऐसी भाषा में काम का लिखित अनुबंध आपको मिलना चाहिए। इसमें मज़दूरी, काम की अवधि, घंटे, लाभ (परिवहन, आवास और भोजन या खाना पकाने की सुविधा सहित), और आपके पे-चैक से किसी भी कटौती के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए।

भले ही पीस रेट से आपको वेतन मिलता हो, आपका अधिकार है कि आपको उचित मज़दूरी मिले।

आपके नौकरीदाता को जहाँ से आप रोजगार की जगह पर अपने नौकरीदाता के लिए काम करने आते हैं वहां तक आने का किराया और दैनिक जीवन निर्वाह, या तो मुहैया करना या भुगतान करना चाहिये, या जब आप अपना आधा अनुबंध खत्म कर लें तब उचित लागत लौटानी चाहिये। जब आपका कार्य-अनुबंध पूरा हो जाए, आपके नौकरीदाता को रोज़गार स्थल से उस जगह तक लौटने का किराया और दैनिक जीवन निर्वाह मुहैया करना या भुगतान करना चाहिये, जहाँ से आप नौकरीदाता के कार्य-स्थल के लिए चले थे। आपके नौकरीदाता के लये यह भी जरूरी हो सकता है कि, अगर आपके खर्चों को निकालने के बाद आपकी मज़दूरी अमेरिका की न्यूनतम वेतन-दर से कम है तो, वह कार्य-स्थल तक आने की और वीजा की लागत का पुनर्भुगतान काम के पहले सप्ताह में ही करे। आपके नौकरीदाता को उसके द्वारा दिए गए आवास से कार्यस्थल तक जाने के लिए मुफ़्त परिवहन भी उपलब्ध कराना होगा।

H-2A वीज़ा के संबंध में जो काम आप करते हैं उसके मुआवज़े पर आपको अमेरिका के सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा करों से छूट प्राप्त है।

सलाह: एक बार जब आप अमेरिका में पहुंच जाएं तो अपने पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों को एक सुरक्षित और ऐसी जगह पर रखें जहां हर समय आपकी पहुंच हो। आपके नौकरीदाता के लिए आपका पासपोर्ट ले लेना ग़ैर-क़ानूनी है।

आम तौर पर, आपके नौकरीदाता को रोजगार अनुबंध की अवधि में कार्यदिवस की कुल संख्या के कम से कम 3/4 के बराबर घंटे रोज़गार देने की पेशकश करनी चाहिए।

H-2B अस्थाई गैर-कृषि श्रमिक वीज़ा

आपको श्रम भर्ती-कर्ता को कभी भी फीस देने की ज़रुरत नहीं होनी चाहिए।

आप समझ सकें ऐसी भाषा में काम का लिखित ऑर्डर आपको मिलना चाहिए। इसमें मज़दूरी, काम की अवधि, घंटे, लाभ (परिवहन, आवास और भोजन या खाना पकाने की सुविधा सहित), और आपके पे-चैक से किसी भी कटौती के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए।

आम तौर पर, आपके नौकरीदाता को आपको हर बारह हफ़्ते की अवधि में कार्यदिवस की कुल संख्या के कम से कम 3/4 के बराबर घंटे के रोज़गार की पेशकश करनी चाहिए।

भले ही पीस रेट से आपको भुगतान मिलता हो, आपका अधिकार है कि आपको उचित भुगतान मिले।

जब आपका आधा अनुबंध खत्म हो तब तक आपके नौकरीदाता को विदेश से यहाँ आने के लिए परिवहन और दैनिक निर्वाह की या तो व्यवस्था करनी चाहिए या उसके लिए धनराशि मुहैया करनी चाहिए। इसके अलावा,

सलाह: इससे पहले कि आप यात्रा करें, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों, विशेष रूप से अपने पासपोर्ट और अमेरिका के वीज़ा, अपने रोजगार अनुबंध, और पहचान के किसी भी अतिरिक्त दस्तावेजों की दो प्रतियां बनाएं। इन प्रतियों का एक सेट अपने देश में, जिस पर आपको विश्वास हो उनको दें, और दूसरा सेट अपने साथ लाएं।

यदि आप रोज़गार की अवधि पूरी कर लेते हैं या रोज़गार की अधिकृत अवधि के अंत से पहले आपका नौकरीदाता किसी भी कारण से आपको नौकरी से निकाल देता है तो आपके नौकरीदाता को आपके घर लौटने के लिए, निर्वाह सहित, परिवहन की लागत का भुगतान करना होगा। अगर आपके ख़र्चों के बाद आपका वेतन अमेरिका की न्यूनतम वेतन सीमा से कम है तो काम के पहले सप्ताह में आपके नौकरीदाता को आपके अमेरिका आने और वीज़ा के ख़र्चों का पुनर्भुगतान करना पड़ सकता है।

J-1 एक्सचेंज विज़िटर वीज़ा

आपके अनुमोदित DS-2019 में आपके कार्यक्रम की तारीखें, एक्सचेंज की श्रेणी, आपके प्रायोजक का नाम, और जहां एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा उस मेज़बान संस्थान का विवरण शामिल होता है।

आपके प्रायोजक को आपके एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में सभी खर्चों, शर्तों, और पाबंदियों का सही ढंग से विवरण देना चाहिए।

गर्मियों में काम के लिए यात्रा

अगर आपके पास पहले से तय किया हुआ काम नहीं है, तो जब आप अमेरिका में पहुंचें, आपके प्रायोजक को रोजगार ढूंढ़ने में आपकी सहायता करनी होगी।

शिक्षार्थी या प्रशिक्षार्थी

आपके प्रायोजक को रूबरू, टेलीफोन द्वारा, या वेब कैमरे द्वारा आपका इंटरव्यू करना चाहिये।

आपके प्रायोजक को, एक शिक्षार्थी या प्रशिक्षार्थी नियुक्ति योजना (DS-7002) आपको देनी चाहिए जिसमें आप जो भी आय प्राप्त करेंगे उसका

लिखित बयान और प्रशिक्षण के उद्देश्यों का सारांश शामिल हो। आपको प्रति सप्ताह कम से कम 32 घंटे का काम दिया जाना चाहिए।

आपके प्रायोजक को, आपको जो खर्च और फीस देनी होगी और अमेरिका में रहने के अनुमानित खर्चों का लिखित बयान आपको देना होगा।

आपके प्रायोजक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आप के पास चिकित्सा बीमा कवरेज है, हालांकि आपके प्रायोजक को चिकित्सा बीमा देने की या इस कवरेज के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

घरेलू कामकाजी आया

आपके मेजबान परिवार को उच्च माध्यमिक संस्था में दाखिला लेने और कक्षाओं में जाने में आपकी मदद करनी चाहिए और उन कक्षाओं के ख़र्च के लिए $500 तक का भुगतान करना चाहिए।

आपको प्रति दिन 10 से अधिक घंटे या प्रति सप्ताह 45 से अधिक घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं है।

आपके सलाहकार को नियमित रूप से आप और आपके मेजबान परिवार के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए।

पहला नाम

आखिरी नाम

वीज़ा कहां जारी किया गया था

आपकी जन्म तिथि

"R" का मतलब है सामान्य पासपोर्ट। "Class" का अर्थ है - वीज़ा का प्रकार।

"M" का अर्थ है कि आप अमेरिका में बार-बार प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई नंबर है तो आप उतनी बार प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

"Expiration Date" (समय सीमा समाप्ति दिनांक) आखिरी दिन है जब आप अपने वीज़ा से अमेरिका में प्रवेश की कोशिश कर सकते हैं। आप अमेरिका में कितने समय तक रह सकते हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है।

"Annotation" में आपके वीज़ा के बारे में अतिरिक्त जानकारी शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, छात्र वीज़ा पर, यहाँ आपका SEVIS नंबर और आपके स्कूल का नाम लिखा होगा।

आपका गैर-आप्रवासी वीज़ा

गैर-आप्रवासी वीज़ा एक अमेरिकी सरकारी दस्तावेज़ है, जो काम, अध्ययन, या किसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका में प्रवेश का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को उसकी अनुमति देता है। आपको विदेशों में किसी अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। एक बार जब आप को गैर-आप्रवासी वीज़ा मिल जाये, आप अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं और प्रवेश के लिए किसी अमेरिकी आप्रवासन अधिकारी को दिखा सकते हैं। यदि आप के वीज़ा का समय समाप्त हो जाता है, तो अमेरिका में फिर से आने से पहले एक नया वीज़ा लेने की जरूरत है।

जब आपका अमेरिका में प्रवेश होगा, एक आप्रवासन अधिकारी आपके पासपोर्ट पर मुहर लगायेगा और प्रवेश की तारीख, प्रवेश की श्रेणी और "जब तक प्रवेश है" की तारीख के साथ चिह्नित करेगा। आपको वैध स्थिति में रहने के लिए, I-94 में लिखी "जब तक प्रवेश" की तारीख से पहले अमेरिका छोड़ना होगा, जब तक कि आपने अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा को अपने वीज़ा की अवधि बढ़ाने के लिए अर्ज़ी न दी हो। आप *https://i94.cbp.dhs.gov* पर अपने I-94 रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं।

मानव तस्करी

मानव तस्करी के शिकार लोग सुरक्षा और सेवाओं के लिए हकदार हैं, और कुछ सार्वजनिक लाभों के लिए योग्य हो सकते हैं। व्यावसायिक सैक्स के लिए बच्चों की, और बल, धोखाधड़ी, या भय दिखा कर व्यावसायिक सैक्स के लिए वयस्कों की, और जबरन श्रम के लिए किसी भी व्यक्ति की मानव तस्करी एक अपराध है। ऐसे शोषण-कर्ताओं पर, जिनमें श्रम के लिए तस्करी करने वाले व्यापारी, सैक्स के दलाल, और वाणिज्यिक सैक्स के खरीदार शामिल हैं, संघीय और राज्यों के तस्करी-विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। श्रम और सैक्स के तस्करों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और साथ ही उन्हें दीवानी मुक़दमे का सामना भी करना पड़ सकता है। निम्नलिखित कुछ चेतावनियां हैं जो मानव तस्करी के संकेत हो सकते हैं।

धमकियां और डर

तस्करी-कर्ता, और जो लोग उनकी मदद करते हैं, वे आपको या अन्य लोगों को इतना डरा देने के लिए कि आप चले जाने की कोशिश भी न करें धमकियों और अन्य डरावने कृत्यों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

- मारपीट, शारीरिक दुर्व्यवहार, या यौन उत्पीड़न;
- मारपीट, शारीरिक दुर्व्यवहार, या यौन उत्पीड़न की धमकी;
- ताले में बंद रखना या कामगार को कार्यस्थल या आवास छोड़ने से रोकना;
- यह धमकियां कि अगर आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, दुराचार की शिकायत करते हैं, अधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट करते हैं, या मदद मांगते हैं तो आप या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया जायेगा;
- यह धमकियां कि यदि आपने मदद लेने की कोशिश की तो आपको निर्वासित या गिरफ्तार किया जा सकता है; या
- उन अन्य कामगारों को धमकियां या नुकसान जिन्होंने छोड़ने की कोशिश, शिकायत, स्थिति की रिपोर्ट या मदद लेने की कोशिश की है, या ऐसी धमकी कि जो भागने की कोशिश करता है उसे ढूंढ निकाला जायेगा और वापस लाया जायेगा।

कर्ज़ा

तस्करी-कर्ता, और जो लोग उन की मदद करते हैं, वे आपसे ऋण चुकाने के लिए श्रम करने, सेवाओं या व्यावसायिक यौन कृत्यों (वेश्यावृत्ति) की मांग कर

सलाह: आपके नौकरीदाता की आपके खिलाफ किसी भी अनुचित टिप्पणी और/या कार्रवाई का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखें और यदि कोई गवाह हों तो उनके नाम और फोन नंबर लिख लें।

सकते हैं। कुछ उदाहरणों में ऋण तस्करी-कर्ता द्वारा निर्मित और लागू किया जाता है। श्रम जारी रखने, सेवाओं या व्यावसायिक यौन कृत्यों के लिए, या आपको काम छोड़ने से रोकने के लिए, मजबूर करने के लिए ऋण का उपयोग करना कानून के खिलाफ है। तस्करी-कर्ता आपकी ऋण अदायगी को अधिक कठिन बनाने के लिए आपके कर्ज में हेरफेर कर सकते हैं और आपको ऐसा आभास करा सकते हैं कि जब तक ऋण की अदायगी न हो जाय तब तक आपको तस्करी-कर्ता की सेवा में कार्यरत रहना होगा। ऋण से छेड़छाड़ के उदाहरणों में शामिल हैं:

- ऐसे ऋण को थोपना जिसे उचित समय में चुका पाना मुश्किल या असंभव है और आप जो कमाएंगे उसके अनुपात से बाहर है;
- ऐसे ऋण को थोपना जिससे आप पहले से सहमत नहीं थे या आप जितने ऋण से सहमत थे उससे ज़्यादा;
- आप की कमाई को आप के कर्ज़े के भुगतान के लिए इस्तेमाल करने से इनकार;
- यह तय करने से इनकार कि अपना कर्ज़ चुकाने के लिए आपको कितने समय तक तस्करी-कर्ता की सेवा में रहना पड़ेगा।
- परिवहन, आवास, खाना, और ऐसी दूसरी फ़ीस कर्ज़े में जोड़ना, जिससे आप पहले से सहमत नहीं थे; और
- नियम तोड़ने, पर्याप्त कमाई ना करने, या पर्याप्त श्रम, सेवा या व्यापारिक यौन कृत्य ना करने के लिए फ़ीस, जुर्माना या दंड कर्ज़े में जोड़ना

नियम और नियंत्रण

तस्करी-कर्ता, और जो लोग उनकी मदद करते हैं, वे आप और अन्य लोगों के लिए चले जाना, शिकायत करना, या सहायता तलाश करना अधिक मुश्किल बनाने के लिए नियमों और नियंत्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

- कार्यस्थल छोड़ने के विरुद्ध नियम, या जब आप काम नहीं कर रहे हैं तब आप कहां जा सकते हैं इस बारे में सख्त नियम;
- अपने खुद के पासपोर्ट, वीज़ा, जन्म प्रमाणपत्र, या अन्य पहचान दस्तावेज रखने के खिलाफ नियम;
- पर्याप्त भोजन, नींद, या चिकित्सा देखभाल तक पहुँच से वंचित रखना; या
- अपने परिवार, अन्य श्रमिकों, ग्राहकों, या कार्यस्थल के बाहर अन्य व्यक्तियों, जैसेकि कानूनी या सामाजिक सेवा के कर्मचारियों से मिलने पर रोक लगना, सीमित करना, या निगरानी रखना।

धोखा और झूठ

तस्करी-कर्ता, और जो लोग उनकी मदद करते हैं, धोखे और झूठ का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

- काम के प्रकार, काम के घंटे, काम करने या रहने की परिस्थितियों, या वेतन के बारे में झूठे वादे;
- एक अच्छे काम का वादा करना और फिर आपसे काफी अधिक घंटों तक, अधिक कठोर परिस्थितियों में, या किये गये वादे से कम वेतन पर काम करवाना; या
- एक अच्छे काम का वादा करना और फिर आप से अन्य प्रकार का श्रम, सेवायें, या व्यावसायिक यौन कृत्य करवाना; इसमें ये शामिल हो सकते हैं - एक नर्सिंग प्रोफेसर के रूप में नौकरी का वादा करके आपको एक नर्सिंग होम में कामगार बनने के लिए मजबूर करना, या एक आया के काम का वादा करके आपको सम्मोहक नृत्य या व्यावसायिक यौन कृत्यों (वेश्यावृत्ति) में संलग्न होने के लिए मजबूर करना।
- आपको यह बताना कि आपके कोई अधिकार नहीं हैं;
- आपसे यह कहना कि अगर आप मदद लेने की कोशिश करेंगे तो आप पर विश्वास नहीं किया जाएगा या आपको निर्वासित कर दिया जाएगा; या
- आपको तस्करी-कर्ता की पहचान के बारे में झूठ बोलने का आदेश देना।

यदि आप दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करें तो क्या आपको निर्वासित कर दिया जाएगा?

जो लोग दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करते हैं उनकी हिफाज़त के लिए प्रोग्राम हैं। चाहे आपको अपने आप्रवास के बारे में चिंताएं हों, फिर भी आपको मदद लेने की कोशिश करने से डरना नहीं चाहिए। आपको किसी ऐसे आप्रवासन वकील से परामर्श करना चाहिए जो आपके नौकरीदाता के लिए काम ना करता हो।

अगर आप मानते हैं कि आप बलात्कार या यौन उत्पीड़न सहित मानव तस्करी या अन्य गंभीर अपराध के शिकार हैं, तो आप एक अलग गैर-आप्रवासी स्टेटस के पात्र हो सकते हैं जैसे कि "T" (तस्करी के शिकार लोगों के लिए) या "U" (तस्करी या अन्य गंभीर अपराधों के शिकार लोगों के लिए) गैर-आप्रवासी स्टेटस या अन्य प्रकार से अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने के लिए आपको अनुमति दी जा सकती है। यह गैर-आप्रवासी वर्गीकरण पीड़ितों की रक्षा के लिए बनाये गए थे। अमेरिका में बहुत से लोग T या U गैर-आप्रवासी स्थिति से अपरिचित हैं और आपको उन लोगों को इसके बारे में बताने की ज़रूरत हो सकती है जो लोग आप की मदद कर रहे हों।

मानव तस्करी के शिकार लोगों के लिए क्या सेवाएं उपलब्ध हैं?

अमेरिका में तस्करी के शिकार लोग कई प्रकार के लाभ, सेवाओं और संघीय या राज्य कार्यक्रमों के तहत आप्रवास राहत के लिए योग्य हो सकते हैं। अनेक संगठन इन सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं, जिनमें चिकित्सा/दंत चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, आवास, आप्रवास के लिए और अन्य कानूनी जरूरतों के लिए कानूनी मदद, रोज़गार सहायता, और सार्वजानिक लाभ के लिए सहायता शामिल है।

सलाह: यह अच्छा विचार है कि आपने जितना काम किया उसका एक लिखित रिकॉर्ड रखें। एक नोटबुक लीजिये और उसमें वे सभी दिन और घंटे लिखिए जब आपने काम किया, और लिखिये कि आपको कितना वेतन मिला, वे तारीख़ें जब आपको वेतन मिला, आपके पे-चैक से ली गई कटौतियां, और उन कटौतियों का कारण।

साप्ताहिक कार्य-लॉग नमूना

कार्मिक	पर्यवेक्षक

तारीख	क्रियाकलाप	घंटे	प्राप्ति
		अंदर:_____ बाहर:_____ कुल:_____	
		अंदर:_____ बाहर:_____ कुल:_____	

इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए इन वेबसाइटों पर जाएँ:

(निम्नलिखित वेबसाइटें अंग्रेज़ी में हैं।)

वीज़ा आवेदन प्रक्रिया और आपका अमेरिकी वीज़ा: *usvisas.state.gov*

मानव तस्करी: *www.state.gov/j/tip*

J-1 वीज़ा एक्सचेंज प्रोग्राम: *j1visa.state.gov*

समानता, और अपने काम पर जाति, रंग, धर्म, लिंग (गर्भावस्था सहित), राष्ट्रीय मूल, आयु (40 या उससे अधिक आयु), विकलांगता या आनुवंशिक जानकारी की वजह से किसी भेदभाव से मुक्त रहने के आपके अधिकारों, तथा भेदभाव आरोप दर्ज करने के लिए: *www.eeoc.gov*

आपके कार्यस्थल सुरक्षा अधिकार, या अगर आपको लगता है कि आपका काम असुरक्षित है और आप निरीक्षण का अनुरोध करना चाहते हैं: *www.osha.gov*

अपने नौकरीदाता से कैसे बकाया वेतन पाएं: *webapps.dol.gov/wow*

आपके यह अधिकार कि आपको उचित पैसे मिलें, जिसमें यह भी शामिल है कि वेतन सम्बन्धी शिकायत कैसे दर्ज करें: *www.dol.gov/WHD/immigration*

आपका यह अधिकार कि आपकी राष्ट्रिकता के स्टेटस की वजह से आपको किसी भेदभाव का सामना न करना पड़े और भेदभाव की शिकायत दर्ज करने के लिए: *www.justice.gov/crt/filing-charge*

अपने वेतन या काम की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अन्य कार्मिकों के साथ शामिल होने का आपका अधिकार, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोप कैसे दायर करें: *www.nlrb.gov*

आपके अधिकारों, दायित्वों, और स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी छूट: *localhelp.healthcare.gov*

इस पुस्तिका की रचना विलियम विल्बरफ़ोर्स तस्करी पीड़ितों के संरक्षण के 2008 के पुनर्प्राधिकरण अधिनियम, पब्लिक लॉ 110-457 की धारा 202 के अनुसरण में की गयी है।